

ई-मेल आई.डी.

कम्प्यूटर इंडेक्स नं०

आयकर पेन नं०

मो. नं०

आधार नं०

फार्म संख्या 8(1)

पेंशनयोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र

(अनुच्छेद 17 देखा जाय)

1. जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनयोगी/खाता धारक श्री/श्रीमती

(पेंशनयोगी का नाम) जो पेंशन भुगतानादेश संख्या बैंक का नाम

शाखा बैंक खाता संख्या का धारक है, को स्वयं देखा है

और यह कि आज की तारीख में जीवित है।

.....

पेंशनर/खाता धारक के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

अधिकृत अधिकारी का नाम/शाखा प्रबन्धक का नाम

(यदि बैंक द्वारा प्रमाणित है)

नमूना हस्ताक्षर संख्या

बैंक का नाम (मोहर)

फार्म संख्या 8 (2)**2. रोजगार रहित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**

- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रोजगार/वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है।(उ०प्र० सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है।)
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है।)
- मैं पारिवारिक पेंशनर के रूप में घोषणा करता/करती हूँ कि मैं राजकीय सेवा अथवा रोजगार में हूँ/नहीं हूँ।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पेंशनयोगी का नाम

फार्म संख्या 8 (3)

(सिर्फ पारिवारिक पेंशनर/अविवाहित/विधवा/तलाक शुदा पुत्री के लिए)

3. पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

शपथ पत्र संख्या : हॉ/नहीं

आय प्रमाण पत्र संलग्न : हॉ/नहीं

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पेंशनयोगी का नाम

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि

पेंशनर द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

पति/पत्नी का नाम

स्थायी/वर्तमान पता

ई-मेल

पेंशन का भुगतान सं०

बैंक का नाम/शाखा

बैंक खाता सं०

“जो लागू न हो उसे काट दिया जाये”